सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of National Capital Territory of Delhi

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-DL55238427124371L
Certificate Issued Date	:	30-Aug-2013 04:21 PM
Account Reference	:	IMPACC (IV)/ dl715903/ DELHI/ DL-DLH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-DLDL71590309057968187365L
Purchased by	:	RAHEJA DEVELOPERS LTD
Description of Document	:	Article 5 General Agreement
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	RAHEJA DEVELOPERS LTD
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	RAHEJA DEVELOPERS LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	50 (Fifty only)

NOTARY NEELAM SHARAN ... GOVT. OF INDIA

COPY COPY COPY

Please write or type below this line

करार [redacted]

यह त्रिपक्षीय करार आज दिनांक .... सितम्बर, २०१३ को आनन्द पर्वत, दिल्ली ट्रांजिट आवास की व्यवस्था करने के उद्देश्य से दिल्ली विकास प्राधिकरण, रहेजा डवलपर्स लि. और इसमें नीचे नामित लाभार्थियों के बीच किया जाता है क्योंकि कठपुतली कॉलोनी, शादीपुर डिपो का स्व–स्थाने विकास कार्य शुरू किया जा रहा है।

लाभार्थी को अपनी तरफ से बिजली और पानी प्रभारों को वहन करना होगा और वेलफेयर एसोसिएशन बनाकर क्षेत्र का रखरखाव भी करना होगा।

लाभार्थियों द्वारा बिजली प्रभारों का भुगतान प्री–पेड बिजली मीटरों के माध्यम से किया जाएगा व पानी प्रभारों, यदि मीटर न लगा हुआ हो, का भुगतान आनुपातिक आधार पर दिल्ली जल बोर्ड/दिल्ली विकास

[redacted]
Assistant Director
Delhi Development Authority

पृष्ठ २ पर जारी...

[redacted]
For Raheja Developers Ltd.
[redacted]

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate

प्राधिकरण को करना होगा।

लाभार्थी वचन देता है कि वह आवंटित स्थान का अतिक्रमण नहीं करेगा और न ही ट्रांजिट कैम्प क्षेत्र में किसी अन्य प्रकार के अतिक्रमण की अनुमति देगा।

४. यह आवास केवल लाभार्थी व उनके परिवार के लिए ही है और यह किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को किराये पर/पट्टे पर नहीं दिया जाएगा/ बेच नहीं जाएगा। यदि विकासकर्त्ता या दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में ऐसा कोई उल्लंघन लाया जाता है, तो संबंधित परिवार को दोबारा बनाई गई कठपुतली कॉलोनी में आवंटन नहीं दिया जाएगा।

५. यह लाभार्थी की जिम्मेदारी होगी कि वह आवास का रखरखाव इस तरीके से करे कि यह विकासकर्त्ता को उसी हालत में लौटाया जा सके।

६. ट्रांजिट कैम्प में स्थांतरित होने से पहले, यह लाभार्थियों की जिम्मेदारी होगी कि वे बिजली/पानी की अपनी सभी बकाया राशि का भुगतान करेंगे।

७. लाभार्थियों को पट्टा राशि के रुप में दिल्ली विकास प्राधिकरण को १ रुपये वार्षिक का नाममात्र का भुगतान करना होगा।

८. लाभार्थियों को पहले कठपुतली कॉलोनी से ट्रांजिट कैम्प में तथा फिर पुनर्विकसित कठपुतली कॉलोनी में स्थांतरित करने के लिए ट्रांसपोर्ट/यातायात की जिम्मेदारी मैसर्स रहेजा डवलपर्स लिमिटेड की होगी। विद्यमान स्लम निवासियों का इस पुनः स्थान निर्धारण के लिए किया गया करार विकासकर्त्ता तथा दि.वि.प्रा. के बीच पहले से ही हस्ताक्षरित मूल करार द्वारा शासित होगा।

९. कठपुतली कॉलोनी में वापिस स्थांतरित होते समय लाभार्थियों को निबंधन एवं शर्तों का पालन करना होगा तथा दि.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित प्रभारों का भुगतान करना होगा।

10. भूमि का कब्जा देने के पश्चात, लगभग दो वर्षों में फ्लेटों का निर्माण हो जायेगा।

लाभार्थी :

मकान मालकिन

(नाम) [redacted] हस्ताक्षर

मकान मालिक : [redacted]

(नाम) हस्ताक्षर

पता : [redacted] KATHPUTLI COL.
PATEL NAGAR, S.O CENTRAL DELHI
DELHI – 110008

कृते रहेजा डवलपर्स लिमिटेड
For Raheja Developers Ltd.

(नाम) [redacted] हस्ताक्षर

कृते दि.वि.प्रा. [redacted]
Assistant Director
Delhi Development Authority
हस्ताक्षर

ATTESTED
NEELAM SHARAN
NOTARY PUBLIC DELHI
01 MAR 2014